मेसर्स उमा शंकर कमल नारायण और अन्य

बनाम

मैसर्स एम. डी. ओवरसीज लिमिटेड

14 मार्च, 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत और एस. एच. कपाडिया, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; O.XXXVII R1:

चेक का अनादर-समरी सूट-बचाव के लिए अनुमति दें-आयोजित अनुदानःउच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने राशि की वसूली के लिए वाद का आदेश दिया, हालांकि, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अवमूल्यन राशि जमा करने के अधीन बचाव करने के लिए सशर्त अनुमति प्रदान करते हुए-प्रश्नगत विषय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ताओं को उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में डी अवमूल्यन राशि जमा करने का निर्देश देना उचित होगा, जिसमें विफल रहने पर एकल न्यायाधीश का आदेश लागू हो जाएगा।

प्रतिवादी-वादी ने आदेश XXXVII नियम 1 के संदर्भ में इस आधार पर मुकदमा दायर किया था कि प्रतिवादी संख्या 2-अपीलार्थी संख्या 2 द्वारा वादी/उत्तरदाताओं के पक्ष में कथित रूप से जारी किए गए चार चेकों का अनादरण किया गया था। अपीलार्थियों ने बचाव करने के लिए अनुमति

के लिए आवेदन दायर किया। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने पाया कि बचाव की अनुमति के लिए आवेदन में लिए गए आधार केवल भुगतान के लिए देय राशि के भुगतान में देरी के उद्देश्य से उठाए गए थे और इसलिए, बचाव की अनुमति देने से इनकार कर दिया। वादी/प्रत्यर्थी को मुकदमे की तारीख से वसूली तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ राशि की वसूली के लिए डिक्री का हकदार माना गया था।आदेश को प्रतिवादी/प्रतिवादी द्वारा चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपीलकर्ताओं को उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में विचाराधीन राशि जमा करने का निर्देश दिया।उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों को बचाव करने के लिए सशर्त अनुमति दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि यदि अपीलार्थी द्वारा इंगित जी राशि जमा करने में चूक होती है, तो एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश और डिक्री लागू होने वाली थी। इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत हुई।

अपीलार्थियों ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने के बाद पूरी डिक्रिटल राशि जमा करने का निर्देश देना उचित नहीं था कि बचाव की अनुमति दी जानी थी।

प्रत्यर्थी ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय का आदेश न केवल निष्पक्ष है, बल्कि न्यायसंगत भी है क्योंकि जो राशि प्रथम दृष्टया

निर्विवाद प्रतीत होती है, वह उस राशि से बहुत अधिक है जिसे उच्च न्यायालय ने जमा करने का निर्देश दिया है।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1. 1. बचाव की अनुमति के संबंध में कानून की स्थिति को इस न्यायालय द्वारा निम्नानुसार समझाया गया हैः

(क) यदि प्रतिवादी न्यायालय को संतुष्ट करता है कि उसके पास गुण-दोष के आधार पर दावे का अच्छा बचाव है, तो प्रतिवादी बचाव करने के लिए बिना शर्त अनुमति का हकदार है।

(ख) यदि प्रतिवादी एक परीक्षण योग्य मुद्दा उठाता है जो यह दर्शाता है कि उसके पास एक उचित या प्रमाणित या उचित बचाव है, हालांकि संभवतः अच्छा बचाव नहीं है, तो प्रतिवादी बचाव के लिए बिना शर्त अनुमति का हकदार है।

(ग) यदि प्रतिवादी ऐसे तथ्यों का खुलासा करता है जो उसे बचाव करने का अधिकार देने के लिए पर्याप्त माने जा सकते हैं, अर्थात, यदि हलफनामा यह खुलासा करता है कि मुकदमे में वह वादी के दावे का बचाव करने में सक्षम हो सकता है, तो अदालत बचाव करने के लिए अनुमति देते समय डी शर्तें लगा सकती है जो मुकदमे के समय या मुकदमे के तरीके के बारे में हैं, लेकिन अदालत में भुगतान या प्रतिभूति प्रस्तुत करने के बारे में नहीं।

(घ) यदि प्रतिवादी के पास कोई बचाव नहीं है, या यदि बचाव नकली या भ्रामक या अव्यावहारिक है, तो प्रतिवादी बचाव करने के लिए जाने का हकदार नहीं है।

(ड.) यदि प्रतिवादी के पास कोई बचाव नहीं है या बचाव भ्रामक या बनावटी या व्यावहारिक रूप से अस्पष्ट है, तो न्यायालय प्रतिवादी को बचाव साबित करने का प्रयास करने में सक्षम बनाकर दया दिखा सकता है, लेकिन साथ ही वादी को यह शर्त लगाते हुए रक्षा कर सकता है कि दावा की गई राशि अदालत में भुगतान की जानी चाहिए या अन्यथा सुरक्षित की जानी चाहिए।[पैरा 8]

मिल्खा राम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनामचमनलाल ब्रदर्स।, ए. आई. आर. (1965) एस. सी. 1698; मेशेलेक इंजीनियर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स बनाम बेसिक इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, [1976] 4 एस. सी. सी. 687; सुनील एंटरप्राइजेज और ए. एन. आर. वी.एस. बी. आई. कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लिमिटेड, [1998] 5 एस. सी. सी. 354 और डिफाइंस निटिंग इंडस्ट्रीज जी. (पी) लिमिटेड बनाम।जय आर्ट्स, [2006] 8 एस. सी. सी. 25, पर भरोसा किया।

1. 2.इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थियों को उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में तीन महीने की अवधि के भीतर 20,00,000/- की राशि जमा करने का निर्देश देना उचित होगा।

यदि राशि निर्धारित समय के भीतर जमा नहीं की जाती है, तो आदेश लागू नहीं होगा और शीर्ष अदालत की रिपोर्ट एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश लागू हो जाएगा।[पैरा 10]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः 2007 की सिविल अपील सं. 1344

(2006 के नियमित प्रथम अपील (ओएस) सं. 18-19 में नई दिल्ली में बी दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 13.03.2006 के निर्णय और आदेश से।)

अपीलार्थियों के लिए रोहिणी मूसा और बीनू टम्टा।

प्रतिवादी के लिए मंजुला गुप्ता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. अरिजीत पासायत, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. इस अपील में चुनौती दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा पारित आदेश को दी गई है जो अपीलार्थियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में 'सी. पी. सी.') के आदेश XXXVII नियम 1 के संदर्भ में संक्षिप्त मुकदमे में बचाव करने के लिए सशर्त अनुमति देता है। अपीलार्थी

उक्त डी मुकदमे में प्रतिवादी हैं। अपीलार्थियों ने उसी मुकदमे में बचाव करने के लिए अनुमति के लिए आवेदन दायर किया। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया कि बचाव की अनुमति के लिए आवेदन में लिए गए आधार नकली और दिखावटी थे। वादी/प्रत्यर्थी ने चार चेकों के आधार पर आदेश XXXVII नियम 1 के संदर्भ में मुकदमा दायर किया था जो कथित रूप से प्रतिवादी संख्या 2 यानी अपीलकर्ता संख्या 2 द्वारा वादी/प्रत्यर्थियों के पक्ष में जारी किए गए थे। चेक का इस टिप्पणी के साथ अनादरित किया गया था कि खाताधारक द्वारा भुगतान रोक दिया गया था।

3. विद्वत एकल न्यायाधीश याचिका में लिए गए विभिन्न रुखों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लेने के लिए आया कि प्रतिवादियों द्वारा उठाया गया बचाव एक दिखावटी बचाव है और यह केवल भुगतान के लिए देय राशि के लिए एफ भुगतान में देरी करने के उद्देश्य से उठाया गया है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने बचाव करने के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया। वादी को वाद की तारीख से वसूली तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ संबंधित राशि यानी 30,856/- की वसूली के लिए डिक्री का हकदार माना गया था। वादी को भी लागत का हकदार माना गया था। उक्त आदेश को 2006 के आर. एफ. ए. (ओ. एस.) संख्या 18 और 19 में चुनौती दी गई थी।

4. अपीलार्थियों का रुख यह था कि बचाव पक्ष दिखावटी नहीं था जैसा कि एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा देखा गया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ताओं का कोई ठोस रुख नहीं था, विशेष रूप से इस याचिका के संबंध में कि क्या लेन-देन पक्षों के बीच हुआ था और क्या कोई बिक्री कर प्रपत्र दिए गए थे या दिए जाने की आवश्यकता थी।

5. उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया था कि माल की डिलीवरी से संबंधित मुद्दे पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निर्णय नहीं लिया जा सकता था। उच्च न्यायालय का विचार था कि तर्क में कोई सार नहीं था। किसी भी परक्राम्य लिखत के पक्ष में एक धारणा है जिसे उस पक्ष के पक्ष में निष्पादित किया गया है जिसके पक्ष में लिखत तैयार की गई है। हालांकि, खंड पीठ ने महसूस किया कि बचाव की अनुमति के लिए आवेदन के अवलोकन पर यह सुविचारित राय थी कि मामला उस श्रेणी में आएगा जहां जमा करने का निर्देश दिए जाने पर न्याय के हित को पूरा किया जाएगा। अपीलार्थियों को Rs.39,30,856/- की राशि उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा करने का निर्देश दिया गया था। अपीलार्थियों को उपरोक्त परिस्थितियों में बचाव करने के लिए सशर्त अनुमति दी गई थी। प्रत्यर्थी जमा राशि को निकालने की स्वतंत्रता चाहता था। उच्च न्यायालय ने प्रार्थना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हालांकि, राशि की निकासी, यदि कोई हो, के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष उचित आवेदन करने की अनुमति दी गई थी। उच्च

न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि यदि अपीलार्थी द्वारा इंगित राशि जमा करने में चूक होती है, तो विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश और डिक्री लागू हो जायेगी।

6. अपीलार्थियों के विद्वान वकील के अनुसार उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि बचाव की अनुमति दी जानी है, पूरी डिक्रिटल राशि जमा करने का निर्देश देना उचित नहीं था।

7. दूसरी ओर प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय का आदेश न केवल उचित है बल्कि न्यायसंगत भी है। जो राशि प्रथम दृष्टया निर्विवाद प्रतीत होती है, वह उस राशि से बहुत अधिक है जिसे उच्च न्यायालय ने जमा करने का निर्देश दिया है।

8. इस न्यायालय द्वारा मिल्खा राम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस. बनाम. मामले में कानूनी स्थिति स्पष्ट की गई है।चमनलाल ब्रदर्स।ए. आई. आर. (1965) एस. सी. 1698 और एफ. मेचेलेक इंजीनियर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स बनाम बेसिक इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन [1976] 4 एस. सी. सी. 687।सुनील एंटरप्राइजेज और ए. एन. आर. वी.एस. बी. आई. कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लिमिटेड [1998] 5 एस. सी. सी. 354, स्थिति को फिर से उजागर किया गया और उपरोक्त निर्णयों के संदर्भ में इसे निम्नानुसार नोट किया गयाः

(क) यदि प्रतिवादी न्यायालय को संतुष्ट करता है कि उसके पास गुण-दोष के आधार पर दावे का अच्छा बचाव है, तो प्रतिवादी बचाव करने के लिए बिना शर्त अनुमति का हकदार है।

(ख) यदि प्रतिवादी एक परीक्षण योग्य मुद्दा उठाता है जो यह दर्शाता है कि उसके पास एक निष्पक्ष या प्रामाणिक या उचित बचाव है, हालांकि संभवतः अच्छा नहीं है। बचाव पक्ष, प्रतिवादी बचाव के लिए बिना शर्त अनुमति का हकदार है।

(ग) यदि प्रतिवादी ऐसे तथ्यों का खुलासा करता है जो उसे बचाव करने का अधिकार देने के लिए पर्याप्त माने जा सकते हैं, अर्थात यदि शपथ पत्र से पता चलता है कि मुकदमे में वह वादी के दावे का बचाव करने में सक्षम हो सकता है, तो न्यायालय सुनवाई के समय या सुनवाई के तरीके के संबंध में शर्तों का बचाव करने के लिए अनुमति देते समय शर्तें लगा सकता है, लेकिन अदालत में भुगतान या प्रतिभूति प्रस्तुत करने के बारे में नहीं।

(घ) यदि प्रतिवादी के पास कोई बचाव नहीं है, या यदि बचाव नकली या भ्रामक है या व्यावहारिक रूप से धुंधला है, तो प्रतिवादी को बचाव छोड़ने का अधिकार नहीं है।

(ई) यदि प्रतिवादी के पास कोई बचाव नहीं है या बचाव भ्रामक या बनावटी या व्यावहारिक रूप से अस्पष्ट है, तो न्यायालय प्रतिवादी को बचाव साबित

करने का प्रयास करने में सक्षम बनाकर दया दिखा सकता है, लेकिन साथ ही वादी को यह शर्त लगाते हुए बचाव कर सकता है कि दावा की गई राशि अदालत में भुगतान की जानी चाहिए या अन्यथा सुरक्षित की जानी चाहिए।

9.उक्त सिद्धांतों को हाल ही में डिफाइंस निटिंग इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड बनाम में उजागर किया गया था।जय आर्ट्स [2006] 8 एस. सी. सी. 25।

10. ऊपर उल्लिखित कई मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हम सोचते हैं कि अपीलकर्ता ई को उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में तीन महीने की अवधि के भीतर 20,00,000/- की राशि जमा करने का निर्देश देना उचित होगा। यदि राशि निर्धारित समय के भीतर जमा नहीं की जाती है, तो आदेश लागू नहीं होगा और एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश लागू हो जाएगा।

11. अपील का तदनुसार निपटारा किया जाता है। कोई लागत नहीं।

एस. के. एस.

अपील का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u> - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।